

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना
सं. 08/2023-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 31 मार्च, 2023

का.आ.....(अ).— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो नियत तारीख तक **प्ररूप जीएसटीआर-10** में अंतिम विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहते हैं, किंतु जिन्होंने उक्त विवरणी 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 तक की अवधि के मध्य प्रस्तुत कर दी है, के लिए अधिनियम की धारा 47 में निर्दिष्ट विलंब फीस की रकम का 500 रुपये से आधिक्य में अधित्यजन करती है।

[फा. सं. सीबीआईसी-20013/1/2023-जीएसटी]

(आलोक कुमार)

निदेशक